

प्ररूप 12 घ

नियम 27 ग देखिए

भाग 1

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना के बारे में पत्र (अनुपस्थित मतदाताओं के लिए)
सेवा में,

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए)

..... संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
..... (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का पदमान और पता)

महोदय,

मैं..... पुत्र/प्रत्री/पत्नी

निवासी ग्राम/मोहल्ला

शहर/नगर/महसील जिला

(राज्य) अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूं और निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचन में डाक
द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूं।

मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है-

गृह/निवास गृह/टैट संख्या

कैंप/मोहल्ला/टैट संख्या

वार्ड/नगर/तहसील

जिला

राज्य पिन कोड

मोबाईल फोन नं. (यदि उपलब्ध हो)

मेरा नाम संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या के क्रम संख्या पर दर्ज है।

“ मैं वर्ष की आयु का हूँ/दिव्यांग व्यक्ति हूँ, और मैं मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूँ। यह अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए अनुपस्थित मतदाता के रूप में डाक मतपत्र जारी किया जाए।

भवदीय

.....
(पूरा नाम और हस्ताक्षर)

भाग-2

(वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न अनुपस्थित मतदाता)

संबंधित संगठन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि भाग-1 मैं आवेदक द्वारा दी गई विशिष्टियां सही हैं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक मतदान के दिवस को शासकीय ड्यूटी पर होगा/होगी और वह मतदान के दिवस को मतदान केंद्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होगा/होगी।

.....
(सत्यापन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर)

नाम

पता

(रबर की मुद्रा)

जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिह्न लगाएं।

टिप्पण: यह आवेदन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 दिन के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाना चाहिए।